

प्रेषक,

डी० सेन्थिल पाण्डियन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,  
हे०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,  
देहरादून।

2- निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
निदेशालय, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल, 2017

विशय:- मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं०-83(एस०बी०)2017 डॉ० वर्तिका सचदेवा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका सं०-84(एस०बी०)2017 डॉ० दर्शना गैरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका सं०-144(एस०बी०)2017 डॉ० अशोक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 के अनुपालन में पी०एम०एच०एस० संवर्ग के पी०जी० सीटों के आरक्षण एवं अधिमान अंक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-06/एचएनबीयूएमयू/नीट पी०जी काउंसिलिंग/17-18 दिनांक 03.04.2017 के क्रम में शासनादेश सं०-395/XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover T.C दिनांक 08.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका सं०-83(एस०बी०)2017 डॉ० वर्तिका सचदेवा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका सं०-84(एस०बी०)2017 डॉ० दर्शना गैरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य तथा रिट याचिका सं०-144(एस०बी०)2017 डॉ० अशोक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12.04.2017 को प्रस्तर-08 में निम्नवत् निर्णयादेश पारित किया गया है :-

The Secretary, Medical Education, Government of Uttarakhand shall take decision today itself with regard to providing of marks to be given as incentive at the rate 10% of marks in each year of service in the remote area. Before passing order the secretary will certainly consider the relevant regulations of the Medical Council of India and also the judgement given by the various courts in this regards.

3- अवगत कराना है कि भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड-4 दिनांक 27.02.2012 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या-MCI-18(1)/2010-MED/62052 दिनांक 15.02.2012 में निम्नवत् प्राविधानित किया गया है :-

“Provided that the determining the merit of candidates who are in service of Government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test, the remote and difficult areas shall be as defined by State Government/ competent authority from time to time.”

उक्त से स्पष्ट है कि प्रोत्साहन अंक देने के विषय में राज्य सरकार की कोई बाध्यता नहीं है।

4- उपरोक्त याचिकाकर्ता बॉण्ड धारी हैं, जिनके द्वारा पूर्व में शुल्क के माध्यम से छूट प्राप्त की गयी है। प्रवेश के समय उक्त बॉण्ड में यह शर्त विहित नहीं थी कि बॉण्डधारियों को दुर्गम क्षेत्र में सेवा दिये जाने पर पी0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में 10 प्रतिशत अधिमानी अंक दिये जायेंगे। अतः उक्त याचिकाकर्ताओं को पी0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने हेतु पुनः छूट प्रदान नहीं की जा सकती।

5- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0-8047/2016 उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम दिनेश सिंह चौहान में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णयादेश दिनांक 16.08.2016 के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवाधीन चिकित्सकों हेतु किसी भी प्रकार के सीटों के आरक्षण को असंवैधानिक करार किया गया है।

6- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डेयन)

सचिव।

**संख्या- /XXVIII(1)/2017-150/2005 II Cover T.C एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को मा0 न्यायालय द्वारा पारित दिनांक उपरोक्त आदेशों के क्रम में सूचनार्थ।
2. श्री परेश त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार मा0 न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने हेतु।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. कुलपति/अध्यक्ष, NEET PG 2017 काउंसिलिंग बोर्ड, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी/श्रीनगर गढ़वाल।
7. समस्त अभ्यर्थीगण/याचीगण द्वारा कुलपति, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)

अनु सचिव।